महत्वपूर्ण / प्राथमिकता

संख्या–768 / सैंतीस–2–2022–5(53) / 2018टीसी–1

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक,
प्रशासन एंव विकास, पशुपालन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

Seen
20-5-22

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 20 मई, 2022

विषयः–निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों हेतु भूसा संग्रहण में तेजी लाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में लगभग कुल 12 लाख निराश्रित गोवंश हैं, जिनमें से लगभग 9.50 लाख गोवंश का संरक्षण किया जा चुका है। संरक्षित गोवंशों के वर्ष पर्यन्त भरण–पोषण हेतु भूसे की आवश्यकता 10.35 लाख टन आंकलित की गयी है। भूसे की आंकलित आवश्यकता के सापेक्ष अभी तक 15 प्रतिशत भूसे का ही संग्रहण किया जा सका है, जो चिन्ताजनक है।

2. पशुधन विभाग के शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण हेतु अधिकाधिक मात्रा में भूसा दान के माध्यम से भी संगृहीत करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त शासनादेश में यह व्यवस्था है कि टाप–3 मण्डल एवं टाप–5 जिलों को प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया जायेगा।

3. दिनांक 17.05.2022 को राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में पाया गया कि जहां एक ओर प्रयागराज,बस्ती,बांदा जैसे जिलों में सराहनीय कार्य चल रहा है वहीं कतिपय जनपदों द्वारा भरण–पोषण हेतु भूसा संग्रहण में पर्याप्त रूचि नहीं ली जा रही है। अगामी तीन सप्ताह में भूसा संग्रहण हेतु विशेष प्रयास की आवश्यकता है, जिससे वर्ष पर्यन्त चारे की आपूर्ति निर्बाध बनी रहें।

4. बारम्बार निर्देश के बावजूद अभी तक सभी जनपदों द्वारा भूसा संग्रहण हेतु क्रय की प्रकिया भी पूर्ण नहीं की गयी है, जिसे शीघ्र पूर्ण करते हुए भूसा संग्रहण कराया जाना अपरिहार्य है। सम्प्रति मात्र 11 जनपदों द्वारा टेण्डर की कार्यवाही पूर्ण की गयी है, जिनमें सोनभद्र, बस्ती, सहारनपुर जनपद द्वारा वैज्ञानिक तरीके से टेण्डर से प्रक्रिया पूर्ण की गयी प्रतीत होती है, जहॉ पर पर्याप्त संख्या में आपूर्ति कर्ता चिन्हित किये गये हैं एवं दरे भी समुचित हैं। इसी प्रकार अन्य जनपदों द्वारा भी प्राथमिकता के आधार पर एक सप्ताह में नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कर भूसा संग्रहण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि भूसे का क्रय अधिक दरों पर न हों।

5. भूसा संग्रहण हेतु जनपदवार निर्धारित अवशेष लक्ष्य की पूर्ति तीन सप्ताह में अर्थात् 07 जून, 2022 तक प्रत्येक दशा में कर लिया जाय। यह संग्रहण जिलाधिकारी द्वारा विभागीय टेण्डर की दशा में चयनित वेण्डर के द्वारा एवं स्थानीय स्तर पर पंचायतों/नगर निगमों द्वारा किया जायेगा।

6. दान दाताओं से भूसा दान में प्राप्त किया जाय तथा इसका समुचित स्टोरेज एवं इंवेन्टरी मैनेजमेंट पृथक से रखा जाय।

7. यह भी सुनिश्चित किया जाय कि अगले सप्ताह सोमवार से भूसे के सम्बन्ध में प्रेषित की जाने वाली सूचना मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा सत्यापनोपरान्त संयुक्त हस्ताक्षर से उपलब्ध करायी जाए।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि इस अभियान को नेतृत्व प्रदान करते हुए उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 20-05-2022 11:03:
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।